RAJYA SABHA

Monday, the 16*th December,* 2002/25 *Agrahayana,* 1924 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Ban on Animal Testing

*361. SHRI MUNAVVAR HASAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that production of anti-snake venom has been stopped;

(b) whether ban on animal testing is creating hurdles in research and development efforts of Pharmaceutical companies in the country;

(c) if so, the manner in which the companies are now supposed tc test the new medicines; and

(d) the action proposed to help the Indian companies which are compelled to plan-animal testing abroad?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHATRUGHAN SINHA): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (d) In view of restrictions placed by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) functioning under the Ministry of Environment and Forests in the procurement of horses and certain other procedural matters, the production of Anti-Snake Venom Serum (ASVS) has been stopped where the bleeding of horses of the age of 21 and above was done. The Ministry of Health and Family Welfare has been taking up the matter with CPCSEA and the Ministry of Environment and Forests in order to resolve the issues so that the production of the serum and drug research can be resumed at the earliest for ensuring adequate availability of ASVS and furthering research and development in drugs.

Development of new drug requires extensive animal studies both at the stage of research as well as to determine its possible toxicity, efficacy

and mechanism of action. Such animal testing is a mandatory requirement throughout the world, including the regulatory provisions under Drugs & Cosmetics Act of India, and as such testing the drug without animal experimentation is not feasible. Representations have been received to the effect that the restrictive provisions of Breeding and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules and its modalities of CPCSEA in its implementation like ban on import of animals except genetically defined rats and mice, ban on contract research, procurement of animals from registered breeders only and delay in granting permission for experiments on larger animals has made it very dificult for research based drug industry to undertake drug development, thus losing their competitive edge in the international scenario.

The Ministry of Health and Family Welfare has already taken up with the concerned authorities the issue of protecting the medical research including drug development as envisaged in Section 14 of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

श्री मुनव्वर हसन: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एन्टी स्नेक वैनम का उत्पादन कब से शुरू किया जाएगा जो कि अभी तक रुका हुआ है?

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: सर, एन्टी स्नेक वैनम का उत्पादन शायद दिसम्बर, 2001 से नहीं हो रहा है। उसका कारण यह नहीं है कि हम नहीं करना चाह रहे हैं, इसमें कुछ अड़चनें आई हैं क्योंकि एन्टी स्नेक वैनम हम घोड़ों से हासिल करते हैं और हमारे पास आर्मी के जो घोड़े हैं, वे 21 साल से ज्यादा उम्र के हैं और हमारी कसौली रिसर्च यूनिट में कम से कम सौ घोड़े हैं। लेकिन अब दिक्कत यह आ गई है कि सी.पी.सी.एस.ई.ए. और ऐनिमल ऐक्टिविस्ट्स ने पहले कहा कि पांच से चौदह साल के घोड़ों का रक्त निकाल सकते है, फिर से उसे पांच से सत्रह साल कर दिया, दिक्कत यह है कि डब्ल्यू.एच.ओ. ने कहीं भी नहीं कहा है कि इसके लिए उम्र कोई क्राईटेरिया है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने कहा है कि Status of the health should be the concern, not the age of horses. इसलिए अभी उसमें दिक्कत जरूर है लेकिन यह चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि हमारे पास फिलहाल चार-छ: महीने की औषधि है।

श्री सभापति: ज़हर है चार-छ: महीने के लिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: सर, ज़हर नहीं है। ज़हर से बचाने का उपाय, ज़हर को ज़हर ही काटता है सभापति जी, तो वह हमारे पास है अभी।

श्री मुनव्वर हसन: अभी मंत्री महोदय ने बताया कि चार-छ: महीने का ज़हरमार ज़हर है हमारे पास, ज़हर मारने का ज़हर लेकिन पशुओं को बचाने के लिए सी.पी.सी.एस.ई.ए. और पर्यावरण मंत्रालय के यहां आप लोग जा रहे हैं और उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। पशुओं को बचाने के लिए मानव जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। इसका टेस्ट कराने के लिए कंपनियां विदेशों में जा रही हैं। इससे एक तरफ तो हमारे मानव जीवन को खतरा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ कंपनियां विदेशों में टेस्ट कराने के लिए जा रही हैं तो विदेशी मुद्रा का हनन हो रहा है। तो ऐसा कितना समय और लगेगा कि जिससे हमारा पैसा जो विदेशों में जाता है, वह न जाए, वह बचे और मानव जीवन की रक्षा जल्दी से जल्दी की जाए?

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: सर, मैं इनकी चिंता से वाकिफ हूं और अड़चनें तो हैं हमारे सामने जैसा मैंने कहा। मानव जीवन बहुमूल्य है और दुनिया में कहीं भी प्री-क्लीनिकल ट्रायल होता है तो वह हमेशा जानवरों पर ही होता है। कहीं भी, किसी भी देश में, वह मेनडेटरी है। हमारे सामने इस वक्त सी.पी.सी.एस.ई.ए. की वजह से या ऐनिमल ऐक्टिविस्ट्स की वजह से कुछ अड़चनें हैं जिसकी वजह से कुछ कंपनियों को, जैसा उन्होंने कहा, ठीक कहा मुनव्वर साहब ने कि हमारी कंपनियों को सिंगापुर, चाईना या नेपाल की ओर मुखातिब होना पड़ता है या बैंकॉक की ओर, थाईलैंड की ओर वे जा रही हैं। कॉस्ट ज़रूर बढ़ रही है इससे, कॉस्ट ज़रूर बढ़ेगी। इससे एक विशेष चिंता है कि चाईना इस मामले में बहुत आगे है और हम प्रगति के मामले में, रिसर्च के मामले में भी काफी पीछे छूट जाएंगे। इसलिए उत्पादन होना बहुत ज़रूरी है। हम कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और एक खुशी की बात यह है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक ज़बरदस्त रुख अख्तियार किया है इस विषय की ओर और एक कमेटी का गठन भी किया है आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी की अध्यक्षता में, जिसमें एनवायर्नमेंट मिनिस्टर बालू साहब हैं, मैं हूं, स्पेशल इनवायटी मेनका गांधी जी हैं और हम समझते हैं, आशावादी हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकल आएगा।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there had been any tug of war between the then Minister of Health and the Minister of Environment and Forests on the point of testing on animals for development of medicines.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: Sir, there had been no tug of war. हमने बालू साहब को इस मामले में आगाह भी कराया है और बालू साहब को हमने खत भी लिखा है और इस पर बालू साहब का बहुत पॉजिटिव जवाब भी आया है। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई टॅग ऑफ वार नहीं है और हम सब इस मामले का हल निकालना चाह रहे हैं।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, it was in the newspapers that.... (*Interruptions*)

श्री सभापति: छोड़िए, श्री सतीश प्रधान।

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि घोड़ों का रक्त लेकर यह दवा बनाई जाती है। घोड़ों को भी एड्स होता है और फिर भी ब्लड लिया जाता है। इस ब्लड को लेते समय क्या इस विषय की भी जांच की जाती है, मंत्री जी इस बारे में कुछ ब्यौरा देंगे?

श्री सभापति: जांच करने के बाद में ही लेते होंगे।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: सर, घोड़ों को भी एड्स होता है, जैसा कि प्रधान जी ने कहा, यह जो आर्मी के घोड़ों का जिक्र किया, हर तरह से उसका परीक्षण हो चुका होता है, उसकी पूरी कुंडली निकाली हुई होती है।

श्री सभापति: हो गया, जवाब काफी है।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: हर तरह से उसकी जांच पड़ताल करते हुए, उसकी एम्युनाइजेशन की होती है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: उसकी कुंडली आप ही लिखते हैं।

***362.** [*The questioner (Shri S. Agniraj) was absent. For answer vide pages 32–34.*]

Expansion of SCTMI

*363. SHRI V. V. RAGHAVAN:††
SHRI J.CHITHARANJAN:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the steps taken to expand and improve the Sree Chitra Tirunal Medical Institute and Research Centre (SCTMI) at Thiruvananthapuram during the years from 1999 to April 2001; and

(b) whether Government propose to provide enough money to equip SCTMI with all the latest instruments required for diagnosis and treatment in the Cardiology and Neurology Departments?

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri V.V. Raghavan.